



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 491]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 28, 2017/पौष 7, 1939

No. 491]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 28, 2017/PAUSA 7, 1939

भारतीय रेड क्रास सोसाइटी

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसंबर, 2017

फा. सं.12017/01/09/Diss.—भारतीय रेड क्रास सोसाइटी का प्रबंध निकाय, भारतीय रेड क्रास सोसाइटी अधिनियम, 1920 (1920 का 15) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ड), खंड (च) और खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सोसाइटी के अध्यक्ष के अनुमोदन से भारतीय रेड क्रास सोसाइटी की राज्य, संघ राज्यक्षेत्र और जिला शाखा के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेड क्रास सोसाइटी शाखा समिति नियम, 2017 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) “अधिनियम” से भारतीय रेड क्रास सोसाइटी अधिनियम, 1920 (1920 का 15) अभिप्रेत हैं;
- (ख) “वार्षिक साधारण बैठक” से सोसाइटी के सदस्यों की बैठक अभिप्रेत हैं;
- (ग) “शाखा समिति” से क्रमशः राज्य शाखा समिति, संघ राज्यक्षेत्र शाखा समिति और जिला शाखा समिति अभिप्रेत हैं;
- (घ) “समिति” से क्रमशः प्रबंध समिति, कार्यकारिणी समिति, वित्त समिति, राज्य युवक रेड क्रास समिति और जूनियर (कनिष्ठ) रेड क्रास समिति अभिप्रेत हैं;
- (ङ) “प्रबंध समिति” से, क्रमशः राज्य स्तर, संघ राज्यक्षेत्र स्तर और जिला स्तर की समिति अभिप्रेत हैं;

- (च) "सोसाइटी" से भारतीय रेड क्रास सोसाइटी अभिप्रेत हैं;
- (छ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपावद्ध अनुसूचियां अभिप्रेत हैं;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो अधिनियम में परिभाषित और प्रयुक्त हैं किंतु इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

अध्याय 2

सामान्य उपबंध

3. मूल सिद्धान्त :- भारतीय रेड क्रास सोसाइटी उसके कार्य में अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी विधि के सिद्धान्तों द्वारा मार्ग दर्शित होगी और यह रेड क्रास और रेड क्रीसेंट अभियान के मूल सिद्धान्तों का सम्मान करेगी अर्थात् :-

- (i) **मानवता** — अंतरराष्ट्रीय रेड क्रास और रेड क्रीसेंट अभियान, जिसकी शुरुआत युद्धभूमि में घायलों को भेदभाव के बिना सहायता प्रदान करने की इच्छा से की गई थी, का प्रयास अपनी अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय क्षमता में मानवीय पीड़ा, जहां कहीं भी यह पाई जाए, का निवारण एवं उपशमन करना, इसका प्रयोजन जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा मानव का सम्मान करना है। यह सभी लोगों के बीच पारस्परिक समझबूझ, मैत्री, सहयोग एवं स्थायी शांति को बढ़ावा देता है।
- (ii) **निष्पक्षता** — यह राष्ट्रीय, नस्ल, धार्मिक मतों, वर्ग या राजनीतिक मतों के संबंध में कोई भेदभाव नहीं करता है। यह मुख्यतया व्यक्तियों की आवश्यकताओं से मार्गदर्शित होते हुए उन्हें पीड़ा से राहत देने तथा कष्ट के सर्वाधिक अत्यावश्यक मामलों को प्राथमिकता प्रदान करता है।
- (iii) **तटस्थता** — सभी व्यक्तियों का विश्वास हासिल करते रहने के लिए यह अभियान शत्रुता में पक्षपात नहीं कर सकता है अथवा सैद्धांतिक प्रकृति के किसी राजनीतिक, नस्लीय और धार्मिक विवादों में किसी भी समय सम्मिलित नहीं हो सकता है।
- (iv) **स्वतंत्रता** — यह आंदोलन स्वतंत्र है। राष्ट्रीय सोसाइटियों को जबकि वे अपनी सरकारों की मानवतावादी सेवाओं में सहायक तथा अपने संबंधित देशों की विधियों के अध्यधीन हैं, अपनी स्वायत्तता सदैव अनुरक्षित रखी जानी चाहिए जिससे कि वे अभियान के सिद्धान्तों के अनुसार सदैव कार्य करने में समर्थ हो सकें।
- (v) **स्वैच्छिक सेवा** — यह एक स्वैच्छिक राहत अभियान है जो लाभ की इच्छा से किसी भी तरह प्रेरित नहीं है।
- (vi) **एकता** — किसी एक देश में केवल एक रेड क्रास सोसाइटी हो सकती है। इसको सभी के लिए अवश्य ही खुला होना चाहिए। इसको अपने समस्त क्षेत्र में अपने मानवीय कार्य को जारी रखना चाहिए।
- (vii) **सार्विकता** — अन्तरराष्ट्रीय रेड क्रास और रेड क्रीसेंट अभियान, जिसमें सभी सोसाइटियों की प्रास्थिति समान होती है तथा वे एक-दूसरे की सहायता करने में समान उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों का निर्वाह करती हैं, विश्वव्यापी है।

4. प्रतीक चिह्न :- भारतीय रेड क्रास सोसाइटी का प्रतीक चिह्न सफेद पृष्ठभूमि में रेड क्रास का कुल चिह्न है अर्थात् इस पर समान लंबाई के उद्धर्धर एवं क्षैतिज भुजाओं के साथ रेड क्रास का प्रतीक चिह्न तथा रेड क्रास का अभिधान है।

5. शाखाओं के साथ संबंध :- शाखाओं एवं राज्य मुख्यालयों के बीच संबंध सभी प्रकार से पारस्परिक सम्मान और सहयोग का होगा अर्थात् प्रशासनिक, कार्यनीतिगत और वित्तीय दोनों एक दूसरे के कार्य के संपूरित एवं अनुपूरित करते हैं।

6. राष्ट्रीय मुख्यालय की भूमिका :- राष्ट्रीय मुख्यालय, राज्य शाखाओं के साथ परामर्श करके एकता के मिद्दांत को ध्यान में रखते हुए शाखाओं के बेहतर कार्यकरण के लिए नीतियां और कार्यनीतियां विकसित करेगा। सभी शाखाएं, राष्ट्रीय मुख्यालयों को सम्मत इन दिशानिर्देशों, ढांचागत एवं कार्यनीतिगत निदेशों के भीतर कार्य करेंगी।

7. निर्वचन :- इन नियमों/दिशानिर्देशों के प्रारंभ होने पर, ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त प्रत्येक नियम, विनियम या आदेश, जहां तक कि इसमें इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी मामले के लिए उपबंध हो, प्रवृत्त नहीं रह जाएगा :

परन्तु इन नियमों/दिशानिर्देशों के निर्वचन बारे में कोई शंका उत्पन्न हो, उसको आईआरसीएम, राष्ट्रीय मुख्यालयों के प्रबंध निकाय के पास विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और प्रबंध निकाय का विनिश्चय अंतिम होगा।

8. इन नियमों और प्रक्रिया का संशोधन :- किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र या जैसा भी मामला हो, जिला शाखा समिति के लिए इन नियमों और प्रक्रियाओं को संशोधित करने का प्रस्ताव, के प्रबंध निकाय के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद ऐसे संशोधन राज्य, संघ राज्यक्षेत्र या जैसा भी मामला हो, जिला शाखा समितियों द्वारा अंगीकृत किए जा सकते हैं।

9. मिशन और उद्देश्य :- (1) भारतीय रेड क्रास सोसाइटी का मिशन, पूर्ण निष्पक्षता के साथ, राष्ट्रीयता, नस्ल, लिंग, धार्मिक मतों, भाषा, वर्ग या राजनीतिक मतों का भेदभाव किए बिना पीड़ा का निवारण और उपशमन करता है।

(2) इस प्रयोजनार्थ, इसके कार्य विशेषतया निम्नलिखित हैं:-

- (i) सशस्त्र संघर्ष और शांति में कार्य करना, अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी विधि के कार्यक्षेत्र के भीतर जेनेवा अभिसमयों में सम्मिलित सभी क्षेत्रों तथा युद्ध पीड़ितों, सैनिक तथा असैनिक, दोनों की ओर से सभी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए तैयार रहना;
- (ii) समुदाय में स्वास्थ्य में सुधार लाने, रोग के निवारण तथा मातृ और बाल परिचर्या में योगदान देना;
- (iii) लोगों को इस बारे में शिक्षित करना कि किस तरह आपदाओं का सामना करें और उनसे कैसे निपटें;
- (iv) आपदाओं से पीड़ितों के लिए आपातकालीन राहत सेवाएं चलाना और उनकी पीड़ा को प्रशमित करना;
- (v) रेड क्रास के कार्य में बालकों और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना;
- (vi) अभियान और अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी विधि के मूल सिद्धांतों को बढ़ावा देना जिससे जनसमूह विशेषतया बालकों और युवाओं के मन में मानवतावादी आदर्शों को भरा जा सके;
- (vii) मानवतावादी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए यथावश्यक स्वयंसेवकों या कार्मिकों की भर्ती करना, उन्हें प्रशिक्षित और तैयार करना;
- (viii) अपनी अधिकारिता के भीतर समुदाय की सेवा करना, राज्य शाखा, प्रबंध शाखा द्वारा यथाअनुमोदित स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर ध्यान देने के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर सकती है; और
- (ix) रेड क्रास प्रतीक चिह्न के संरक्षात्मक मूल्य को बनाए रखने के लिए इसका सही उपयोग सुनिश्चित करना।

अध्याय 3

शाखा समितियों और प्रबंध समितियों का गठन, कार्यकरण और अधिकारिता

10. सदस्यता और निधि उगाही:- सदस्यता के विवरण, सोसाइटी के सदस्य होने के लिए पात्रता, अधिकार और कर्तव्य, सदस्यता समाप्त होना और निधि उगाही ऐसी होगी, जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट की जाए।

11. शाखा समितियों का गठन, शक्तियां, कृत्य और सदस्यों की पदावधि तथा सोसाइटी की सदस्यों की वार्षिक साधारण बैठक ऐसी होगी, जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट की जाए।

12. राज्य और संघ राज्यक्षेत्र प्रबंध समिति का गठन, शक्ति, कृत्य और सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी, जो अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट की जाए।

13. जिला प्रबंध समिति का गठन, शक्ति, कृत्य और सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी, जो अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट की जाए।

14. राज्य और संघ राज्यक्षेत्र शाखा समिति का प्रबंध ऐसा होगा, जो अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट किया जाए।

15. जिला शाखा समिति का प्रबंध ऐसा होगा, जो अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट किया जाए।

16. राज्य और संघ राज्यक्षेत्र शाखा समिति का वित्त पोषण ऐसा होगा, जो अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट किया जाए।

17. जिला शाखा समिति का वित्त पोषण ऐसा होगा जो अनुसूची 8 में विनिर्दिष्ट किया जाए।

18. राज्य, संघ राज्यक्षेत्र और जिला शाखा, राज्य, संघ राज्यक्षेत्र और जिला सहित अपने समस्त राज्यक्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करेगी तथा उसको अपने क्रियाकलापों का अधीक्षण करने और उनको विनियमित करने की शक्ति होगी।

अनुसूची 1

(नियम 10)

सदस्यता और निधि उगाही

सदस्यों को जिला या उप-जिला स्तरों पर नामांकित किया जाएगा। राज्य शाखाएं सदस्यों को केवल तभी नामांकित करेगी जब जिला या उप-जिला शाखाएं गठित नहीं की जाती हैं। इसके लिए, राष्ट्रीय प्रबंध निकाय की सुम्पष्ट अनुमति अपेक्षित है।

1. सदस्यों के पते— सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र शाखाएं, जिला और उप-जिला स्तरों पर नामांकित सभी सदस्यों के अभिलेख अनुरक्षित करेंगी। सदस्यों के पतों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा।

2. पात्रता— (1) सोसाइटी की सदस्यता, भारत में सभी निवासियों के लिए खुली है चाहे उनकी राष्ट्रीयता, जाति, लिंग, धर्म, मत, भाषा, वर्ग या राजनीतिक मत कुछ भी हो।

(2) सदस्य, अभिदान प्रदाता अथवा अवैतनिक हो सकते हैं।

(3) सदस्यता की श्रेणियां, अंशदान की दरें और मुख्यालयों, राज्य तथा जिला शाखाओं के बीच अंशदान की हिस्सेदारी, राष्ट्रीय प्रबंध निकाय द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए गए अनुसार होंगी। सदस्यों की श्रेणियां और उनकी संबंधित अंशदान की दरें निम्नलिखित हैं अर्थात् :—

	श्रेणियां	अंशदान की वर्तमान दरें (₹.)
(i)	आश्रयदाता (पेटर्न)	20,000/-
(ii)	उपआश्रयदाता (वाइस पेटर्न)	10,000/-
(iii)	आजीवन सदस्य	500/-
(iv)	आजीवन सहयुक्त	250/-
(v)	वार्षिक सदस्य	100/-
(vi)	वार्षिक सहयुक्त	50/-
(vii)	संस्थागत सदस्य (वार्षिक)	5000/-

3. अभिदान प्रदाता सदस्य :- अभिदान प्रदाता सदस्य वे सदस्य होते हैं जो अपने अभिदान का भुगतान राष्ट्रीय प्रबंध निकाय द्वारा यथानियत एकमुश्त करते हैं और जो अपने अंशदान प्रभारों का भुगतान करके अपनी सदस्यता का नवीकरण करवा सकते हैं।

4. अवैतनिक सदस्य :- सोसाइटी के लिए की गई असाधारण सेवाओं हेतु मान्यताप्राप्त व्यक्तियों को राष्ट्रीय प्रबंध निकाय के अनुमोदन पर राज्य प्रबंध निकाय द्वारा अवैतनिक सदस्यता दी जा सकती है।

5. सदस्यता अभिदान का आवंटन :- राष्ट्रीय मुख्यालय अथवा संबंधित राज्य, संघ राज्यक्षेत्र और जिला शाखा को किए गए सदस्यता अभिदान के आवंटन को निम्नलिखित रीति से प्रभाजित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i)	राष्ट्रीय मुख्यालय	15%
(ii)	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र शाखा	15% और
(iii)	जिला शाखा	70% (उप-जिला शाखा, यदि विद्यमान हो, की 15% हिस्सेदारी सहित)

परन्तु यदि सदस्य किसी जिले का नहीं हो तो प्रभाजन निम्नप्रकार किया जाएगा :—

(iv)	राष्ट्रीय मुख्यालय	15%
(v)	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र शाखा	85%

6. सदस्यों के कर्तव्य :- नामांकित सदस्य निम्नलिखित कार्य करेंगे, अर्थात् :—

- (क) सोसायटी के नियमों और विनियमों को मान्यता प्रदान करना तथा उनका अनुपालन करना और नियमित रूप से अपना अभिदान देना;
- (ख) इस अभियान के मूल सिद्धांतों, अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी विधि का अनुपालन करना तथा इनका प्रचार प्रसार करना और रेड क्रास प्रतीक चिह्न की सुरक्षा करना;
- (ग) जिला, राज्य, संघ राज्यक्षेत्र और जिला स्तर पर सदस्यता को बढ़ावा देने सहित भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना तथा इनमें सक्रिय रूप से भाग लेना।

7. सदस्यों के अधिकार :- सदस्यों के निम्नलिखित अधिकार होंगे, अर्थात् :—

- (क) नियमानुसार बैठकों में मतदान करना;
- (ख) उनको जिला स्तर पर निर्वाचित करने और निर्वाचित किए जाने का अधिकार होगा और उनको संगठनों के उच्चतर स्तरों की असेम्बलियों में निर्वाचित होने का अधिकार होगा;
- (ग) रेड क्रॉस के विभिन्न कार्यक्रमों या अभियानों या कार्यकलापों में भाग लेना तथा स्वैच्छिक सेवा प्रदान करना;
- (घ) वार्षिक सदस्यों को मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होगा;

8. सदस्यता की समाप्ति :- सदस्यता, निम्नलिखित दशा में समाप्त हो जाएगी, यदि, :-

- (क) कोई सदस्य किसी भी समय उस शाखा को जहां से वह सदस्य बना है या बनी है, लिखित में सूचना देकर सदस्यता छोड़ सकता या सकती है;
- (ख) सदस्यता का नवीकरण न किया गया हो तो वार्षिक सदस्यता पंजीकरण की तारीख से बारह मास में समाप्त हो जाती है;
- (ग) राज्य और संघ राज्यक्षेत्र शाखा, किसी सदस्य को घोर कदाचार अथवा ऐसे सदस्य के कार्यकलाप के कारण निष्कासित कर सकेगी जिसका रेड क्रास की छावि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो जिसके लिए संबंधित सदस्य को अपने आचरण का स्पष्टीकरण देने के लिए पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार निष्कासित सदस्य को लिखित में सूचित किया जाना चाहिए और संबंधित सदस्य को संबंधित राज्य और संघ राज्यक्षेत्र शाखा के अध्यक्ष के पास लिखित में अपील करने, यदि उक्त सदस्य की ऐसी इच्छा होगी, का अधिकार होगा। राज्य और संघ राज्यक्षेत्र शाखा, राष्ट्रीय मुख्यालय को सूचित करेगी। इस संबंध अंतिम अपील, राष्ट्रीय प्रबंध निकाय को की जाएगी। निष्कासन के प्रयोजनार्थ घोर कदाचार को साथ मूल सिद्धांतों के परस्पर विरोधी चरित्र या नैतिकता के प्रदर्शन अथवा उन कार्यकलापों में संलिप्तता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो राष्ट्रीय सोसाइटी की छ्याति या कार्यकलापों के लिए हानिकारक है।

9. दान और अंशदान :- मुख्यालय या किसी शाखा द्वारा किसी प्रयोजन विशेष जिसके लिए इसका उपयोग किया जाना है, के लिए नियत प्राप्त दान का उपयोग अभियाही निकाय द्वारा उस प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया था, परंतु जिला शाखा द्वारा प्राप्त और किसी प्रयोजन विशेष के लिए नियत न किए गए दान की दशा में, उसका 15% राज्य और संघ राज्यक्षेत्र शाखा को तथा 15% राष्ट्रीय मुख्यालय को संदेय होगा तथा किसी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र शाखा द्वारा प्राप्त तथा किसी प्रयोजन विशेष के लिए नियत न किए गए दोनों की दशा में उसका 15% मुख्यालय को संदेय होगा।

10. निधि उगाही :- उक्त कथित प्रभाजन की प्रतिशतता के उपर्युक्त मेलों, रैफल, पिन फ्लैग की विक्री, मुहरों, उत्सवों, लाटरियों और विभिन्न प्रदर्शनियों से उगाही स्वरूप प्राप्त शुद्ध आगम, और किसी राज्य, संघ राज्यक्षेत्र या जिला शाखा द्वारा की गई कोई अन्य उगाही जो किसी प्रयोजन विशेष के लिए नियत नहीं हो, के संबंध में भी लागू होंगे।

11. कनिष्ठ या युवा रेड क्रॉस निधियां :- सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र शाखाएं प्रतिवर्ष कनिष्ठ रेड क्रास निधियों के लिए कम से कम 10 हजार रुपये तथा युवक रेड क्रास निधियों के लिए दस हजार रुपये का योगदान देंगी और राष्ट्रीय मुख्यालय इन शाखाओं के द्वारा किए गए

योगदान का दोगुना योगदान देंगी। यह योगदान, राष्ट्रीय मुख्यालयों में जूनियर रेड क्रास निधियों या युवक रेड क्रास निधियों के लिए केंद्र बन सकेंगे।

अनुसूची 2

(नियम 11)

1. अभिशासन और गठन :

राज्य और संघ राज्यक्षेत्र शाखा समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

(क) अध्यक्ष :- राज्य के राज्यपाल अथवा उनके समकक्ष, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र शाखा समितियों के अध्यक्ष होंगे।

(ख) उपाध्यक्ष :- उपाध्यक्ष, दो वर्षों की पदावधि के लिए अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(ग) सभापति :- शाखा के सभापति, इसके गठन या निर्वाचन के पश्चात् आयोजित पहली बैठक में राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की प्रबंध समिति द्वारा अपने सदस्यों में से तीन वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाएंगे।

(घ) कोषाध्यक्ष :- शाखा के लिए कोषाध्यक्ष का निर्वाचन, प्रबंध समिति द्वारा साधारण बैठक के पश्चात् आयोजित इसकी प्रथम बैठक में किया जाएगा।

2. पदधारियों के कार्य, शक्तियां और पदावधि

क. अध्यक्ष :- अध्यक्ष

- (i) वार्षिक साधारण बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
- (ii) साधारण बैठकों के कार्यवृत्त का अनुमोदन करेंगे।
- (iii) इन नियमों के अधीन उपबंधित अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

ख. सभापति, प्रबंध समिति:- सभापति,—

- (i) प्रबंध समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
- (ii) निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन :-
- (क) सामान्य क्रम में वित्त या प्रबंध समिति को सूचित करने के अध्यधीन महासचिव की शक्तियों के भीतर सम्मिलित न हुए बजटीय व्यय करने के लिए अनुमोदन देंगे।
- (ख) सामान्य क्रम में वित्त या प्रबंध समिति को सूचित करने के अध्यधीन प्रबंध समिति की दो बैठकों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी आपातकाल में गैर-बजटीय मदों पर कोषाध्यक्ष की सहमति से प्रत्येक अवसर पर 1,00,000/- रुपये तक का व्यय करने के लिए अनुमोदन देंगे।
- (ग) प्रबंध समिति की दो बैठकों के बीच उठने वाले ऐसे मुद्दों पर विनिश्चय करेंगे जिन पर विचार-विमर्श को उसकी अगली बैठक में प्रबंध समिति को सूचित किए जाने के अध्यधीन रहते हुए आस्थगित नहीं किया जा सकता है।

ग. मानद कोषाध्यक्ष :-

मानद कोषाध्यक्ष, --

- (i) शाखा के वित्त व्यवस्था और लेखाओं का विनियमन करेंगे।
- (ii) वित्त, विनिवेश, आय, व्यय और बजट उपबंधों आदि से संबंधित सभी मामलों में प्रबंध समिति या उपसमिति को सलाह देंगे।
- (iii) विनिवेशों और संपत्तियों, जंगम और स्थावर दोनों, के रजिस्टर के अनुरक्षण को ऐसे प्ररूप और रीति में विनियमित करेंगे जैसी प्रबंध समिति चांचा करे और उनकी आवधिक जांच करेंगे।

(iv) शाखा की प्राप्तियों और व्यय के बजट अनुमानों तथा वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों को वित्त समिति, प्रबंध समिति तथा वार्षिक साधारण बैठक के समक्ष रखेंगे।

3. प्रबंध समिति, इसके सभापति, उपसभापति तथा कोषाध्यक्ष की पदावधि तीन वर्ष की होगी।

4. वार्षिक साधारण बैठक :-

(क) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र शाखा समिति की वार्षिक साधारण बैठक, शाखा के मुख्यालयों पर या किसी स्थान पर अध्यक्ष द्वारा नियत की जाने वाली तारीख (या तारीखों) को होगी। वार्षिक साधारण बैठक की सूचना किसी शासकीय परिपत्र द्वारा तथा किसी प्रकाशन द्वारा नियत तारीख से कम से कम 21 दिन पहले दी जाएगी जिसमें आयोजित की जाने वाली बैठक की तारीख, समय तथा स्थान और संपादित किए जाने वाले कामकाज विविर्दिष्ट किए जाएंगे।

(ख) निम्नलिखित वार्षिक साधारण बैठक में सम्मिलित होने के तथा किसी ऐसे प्रश्न पर मतदान करने के पात्र होंगे जिसको बैठक में अवधारण के लिए प्रस्तुत किया जा सकेगा :-

- (i) प्रबंध समिति के सदस्य।
- (ii) प्रत्येक जिला शाखा समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले दो प्रत्यायुक्त सदस्य।
- (iii) प्रत्येक उपजिला/तालुक शाखा समिति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रत्यायुक्त सदस्य।
- (iv) राष्ट्रीय मुख्यालय का प्रतिनिधि, वार्षिक साधारण बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में सम्मिलित हो सकेगा।

(ग) सूचना में संपादित किए जाने वाले अन्य कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य विविर्दिष्ट किए जाएंगे :-

- (i) पूर्ववर्ती बैठक में वार्षिक साधारण बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।
- (ii) पूर्ववर्ती वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना और उस पर विचार करना तथा उसका अंगीकरण।
- (iii) पूर्वगामी वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों की प्रस्तुति और उन पर विचार करना तथा उनका अंगीकरण।
- (iv) उत्तरवर्ती वर्ष के लिए बजट अनुमानों की प्रस्तुति और उन पर विचार करना तथा उनका अंगीकरण।
- (v) लेखों के संकलन और प्रमाणन के प्रयोजनार्थ आगामी वर्ष के लिए कानूनी लेखा परीक्षक की नियुक्ति।

5. असाधारण वार्षिक साधारण बैठक :—

शाखा की असाधारण वार्षिक साधारण बैठक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र शाखा के अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय शाखा से मंबद्ध प्रयोजनों के लिए अथवा शाखाओं और/या शाखा की सदस्यता के दो तिहाई सदस्यों के द्वारा लिखित में अध्यपेक्षा द्वारा बुलाई जा सकेगी। असाधारण बैठक में अधिसूचित किए गए कार्य से भिन्न कोई अन्य कार्य संपादित नहीं किया जाएगा।

6. वार्षिक साधारण बैठक की प्रक्रिया :—

- (i) सभी वार्षिक साधारण बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभापति द्वारा की जाएगी।
- (ii) वार्षिक साधारण बैठक के समक्ष संकल्प, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित और विनिश्चित होगा। हाथ उठाकर मतदान किया जाएगा। मतों की वरावरी की दशा में बैठक के सभापति के पास दूसरा या निर्णायक मत होगा।

7. गणपूर्ति :-

30% पात्र सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी। यदि बैठक के लिए नियत समय के आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो बैठक उसी तारीख को और उसी स्थान पर आयोजित करने के लिए आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी जाएगी। ऐसी स्थगित बैठक में उस कामकाज का, जिसके लिए बैठक बुलाई गई थी, संपादन किया जाएगा चाहे गणपूर्ति हो या नहीं।

अनुसूची 3

(नियम 12)

1. (1) राज्य और संघ राज्यक्षेत्र प्रबंध समितियों की संरचना - राज्य और संघ राज्यक्षेत्र शाखा की प्रबंध समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

- (क) सभापति;
- (ख) कोषाध्यक्ष;
- (ग) उपाध्यक्ष को प्रबंध समिति द्वारा इसके गठन या निर्वाचन के पश्चात् आयोजित प्रथम बैठक में उसके सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा;
- (घ) प्रबंध समिति द्वारा यथाविनिश्चित शाखा के पैटर्न, वाइस पैटर्न और आजीवन सदस्यों में से राज्य या संघ राज्यक्षेत्र शाखा के चार सदस्य;
- (ङ) प्रत्येक जिला शाखा समिति द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि;
- (च) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र शाखा के महासचिव सदस्य सचिव और गैरमतदान सदस्य होंगे;
- (छ) सेंट जॉन एम्बुलेंस राज्य परिषद् का प्रतिनिधि;
- (ज) प्रबंध समिति, संगठन के कार्यों के किसी भाग में विशेषज्ञता रखने वाले पांच सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी, अर्थात् स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण मंत्रालय आदि से प्रतिनिधि।

(2) समिति के सभी सदस्य अभिदानकर्ता सदस्य होंगे और उनमें से प्रत्येक प्रबंध समिति के निर्वाचन या गठन के पश्चात् इसकी पहली बैठक में इस आशय की शपथ लेंगे कि वे रेड क्रास के सात मूल सिद्धांतों का अनुपालन करेंगे तथा उनको सौंपे गए कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए सहमत होंगे।

2. प्रबंध समिति की शक्तियां एवं कार्य :- शाखा की प्रबंध समिति की निम्नलिखित शक्ति हैं:-

- (क) नवगठित जिला शाखाओं/उप जिला शाखाओं को मान्यता प्रदान करना, उनके ऊपर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखना तथा जिला शाखा समिति अथवा राज्य प्रबंध समिति की सिफारिश पर शाखाओं की मान्यता वापस लेना।
- (ख) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र शाखा के महासचिव को सेवा की उन शर्तों एवं निबंधनों पर नियुक्त करना जैसा वह ठीक समझे।
- (ग) कार्यकारी समिति, वित्त समिति, कनिष्ठ रेड क्रास और युवा रेड क्रास समिति, आपदा प्रशमन समिति एवं अन्य समितियों का गठन करना, उनके कार्य, शक्तियां एवं अवधि, जैसा वह समय-समय पर ठीक समझे, नियत करना। उपर्युक्त सभी समितियों की कार्यवाहियों का व्यौरा प्रबंध समिति के समक्ष इसकी अगली बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।
- (घ) घोर कदाचार के मामले में प्रबंध समिति के पास, यथास्थिति, सभापति अथवा कोषाध्यक्ष को हटाने की शक्ति होगी। हटाने के प्रयोजनार्थ घोर कदाचार को सात मूल सिद्धांतों से अंसगत चरित्र या नैतिकता के प्रदर्शन अथवा ऐसे कार्यकलापों में संलिप्तता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो राष्ट्रीय सोसाइटी की ख्याति या कार्यकलापों के लिए हानिकारक होते हैं।
- (ङ) राज्य, संघ राज्यक्षेत्र और जिला शाखा, कर्मचारिवृन्द के लिए सेवा नियम सहित, के प्रबंधन, कार्यों, नियंत्रण एवं प्रक्रिया के लिए नियम बनाना।

3. कार्य संचालन :-

- (क) प्रबंध समिति की साधारण बैठक तीन मास में एक बार उस समय, तारीख या स्थान में आयोजित की जाएगी जो सभापति द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति द्वारा नियत किए जाएंगे।
- (ख) किसी अत्यावश्यक कार्य पर विचार करने के लिए प्रबंध समिति की असाधारण बैठक प्रबंध निकाय के 10% या किन्हीं पांच सदस्यों, इनमें से जो भी अधिक हो, द्वारा नियमित रूप में अध्येक्षा किए जाने पर सभापति द्वारा किसी भी समय बुलाई जा सकेगी।
- (ग) प्रबंध समिति की किसी बैठक का 10 दिन का स्पष्ट नोटिस, जिसमें बैठक के स्थान, तारीख एवं समय तथा संपादित किए जाने वाले कार्य की सामान्य प्रकृति विनिर्दिष्ट की गई हो, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र शाखा के महासचिव के द्वारा प्रत्येक सदस्य को डाक/कुरियर/फैक्स द्वारा जारी किया जाएगा परंतु किसी सदस्य द्वारा ऐसे नोटिस को ऐसी अप्राप्ति, जो शाखा के नियंत्रण से बाहर हो, के कारणों से कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी।
- (घ) प्रबंध समिति की बैठकों में कुल सदस्यों के 20% से गणपूर्ति पूरी होगी। यदि बैठक के लिए नियत किए गए समय के आधे घंटे के भीतर कोई गणपूर्ति नहीं होती हैं तो बैठक, आधे घंटे के लिए आस्थगित हो जाएगी जो उसी स्थान पर तथा उसी तारीख को होगी। ऐसी आस्थगित बैठक में उसी कार्य, जिसके लिए बैठक बुलाई गई थी, का संपादन किया जा सकेगा चाहे गणपूर्ति पूरी हो या नहीं।
- (ङ) किसी बैठक में मर्तों के वरावरी होने की दशा में सभापति के पास दूसरा अथवा निर्णायक मत होगा।
- (च) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की प्रबंध समिति, राज्य शाखा के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन सहित ऐसे प्रतिस्थापन के लिए अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से डी एम/डी सी के स्थान पर किसी जिला शाखा के अध्यक्ष के रूप में अन्य उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी।

4. कार्यकारिणी समिति :-

- (i) प्रबंध समिति इसके गठन के पश्चात् इसकी प्रथम बैठक में राज्य शाखा के वर्तमान कार्य के संपादन के लिए एक कार्यकारी समिति नियुक्त कर सकेगी। ऐसी समिति के कार्य संपादनों को सम्यक् रूप से अभिलिखित किया जाएगा तथा प्रबंध निकाय के समक्ष इसकी आगामी बैठक में रखा जाएगा।
- (ii) कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

 - (क) प्रबंध समिति का सभापति, समिति का सभापति होगा। उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति या उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाला कोई सदस्य, जो गणपूर्ति बनाता है, बैठक का सभापतित्व करेगा।
 - (ख) प्रबंध समिति द्वारा उसके सदस्यों में से निर्वाचित पांच सदस्य।
 - (ग) मानद कोषाध्यक्ष।
 - (घ) महासचिव, कार्यकारी समिति का पदेन सदस्य होगा।
 - (ङ) राज्य शाखा के अध्यक्ष द्वारा नामित, संगठनों के कार्यों के किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कोई प्रतिनिधि।

(iii) कार्यकारी समिति साधारणतया दो मास में एक बार बैठक करेगी। तथापि समिति का अध्यन, कभी उसकी राय में यह आवश्यक हो समिति की बैठक बुलाएगा। चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(iv) आपात की स्थिति पैदा होने की दशा में, कार्यकारणी समिति इन नियमों द्वारा प्रबंध समिति को दिए गए किसी कर्तव्य का पालन कर सकेगी किंतु ऐसी दशा में वह, इस प्रकार की गई किसी कार्यवाई की रिपोर्ट, अगली बैठक में प्रबंध समिति को भेजी।

5. शक्तियां :- कार्यकारी समिति यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी कि शाखा का अत्यावश्यक कार्य संपादित किया गया है और प्रबंध समिति की नीतियां और विनिश्चय को निष्पादित या कार्यान्वित किया हैं। कार्यकारी समिति की बैठक का कार्यवृत्त अनुसमर्थन के लिए प्रबंध समिति के समक्ष रखा जाएगा।

6. वित्त समिति :-

(क) प्रबंध समिति एक वित्त समिति को नियुक्त करेगी जो समिति के अध्यक्ष के रूप में राज्य या संघ राज्यक्षेत्र शाखा के उपाध्यक्ष, प्रबंध समिति के दो सदस्यों, अवैतनिक विधिक सलाहकार, अवैतनिक कोपाध्यक्ष और शाखा के प्रधान सचिव से मिलकर बनेगी।

(ख) शाखा के वित्त संबंधी ममी मामले, यथास्थिति कार्यकारी समिति या प्रबंध समिति द्वारा अवधारित किए जाने के पूर्ण साधारणतया सलाह और राय लेने के लिए वित्त समिति को निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(ग) प्रबंध समिति वित्त समिति के विद्यमान वित्तीय कारबार के विषयों के विनिश्चित करने के लिए सशक्त कर सकेगी परंतु ऐसे कारबार से सोसाइटी उद्देश्य विचलित नहीं होने चाहिए और उसके अंतर्वलित धन प्राक्कलित बजट में सम्मिलित होगा।

(घ) उसी प्रकार वित्त समिति, किसी ऐसे न्यायिक स्वरूप के व्यय को उपगत करने के लिए, जिससे सोसाइटी के उद्देश्य विचलित नहीं होते हैं यदि बजट के प्राक्कलन में ऐसी धनराशि को सम्मिलित किया जाता है, महासचिव को सशक्त कर सकेगी।

(ङ.) वित्त समिति द्वारा, महासचिव को जब आवश्यक हो, बजट प्राक्कलनों से अधिक, उस सीमा तक, जो उनके द्वारा अवधारित की जाए, व्यय उपगत करने के लिए भी सशक्त किया जा सकेगा।

(च) वित्त समिति, महासचिव को, ऐसे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए व्यय मंजूर करने हेतु भी सशक्त कर सकेगी, जिसके लिए प्रबंध/वित्त समिति को पश्चातवर्ती रिपोर्ट के अधीन रहते हुए नकद या वस्तु के रूप में दान प्राप्त किया जा रहा है। उसी प्रकार वित्त समिति, महासचिव को प्रत्येक मामूली अनुक्रम में और आपात स्थिति में व्यय उपगत करने के लिए प्रबंध वित्त समिति को अनुसमर्थन के लिए उसकी आगामी बैठक में रिपोर्ट देने के अधीन रहते हुए सशक्त कर सकेगी।

(छ) वित्त समिति लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करेगी और शाखा के वार्षिक लेखे की संवीधा करेगी और प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक बजट को तैयार करेगी और उसे अपनी सिफारिशों के साथ कार्यकारी समिति प्रबंध समिति को विचार के लिए प्रस्तुत करेगी। लेखा परीक्षकों की विस्तृत रिपोर्ट अवैतनिक कोपाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी जो महासचिव की परामर्श से रिपोर्ट पर अपेक्षित कार्रवाई करेगा।

(ज) वित्त समिति, आयकर, विदेशी अभिदाय विनियमों और शाखों को लागू अन्य करों के भिन्न-भिन्न उपबंधों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा किए गए अनुपाल को सुनिश्चित करेगी।

(झ) वित्त समिति यह सुनिश्चित करेगी कि शाखा से संबंधित सावधि जमा पर निवेशों या अन्य निवेशों के संबंध में बैंककारों/अन्य के साथ सभी संब्यवहार, मंजूरी, निर्वहन और संसूचनाएं राष्ट्रीय मुख्यालयों और शाखाओं की प्रबंध समिति द्वारा अधिकथित नीति के अनुसार हों।

(ञ) सामान्यतः वित्त समिति की प्रत्येक तीन मास में एक बार बैठक होगी। जब आवश्यक हो तो अतिरिक्त बैठक बुलाई जा सकेगी। तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी वित्त समिति की कार्यवाहियों को अनुमोदन के लिए कार्यकारी समिति और प्रबंध समिति के समक्ष रखा जाएगा।

(ट) वित्त समिति की कार्यवाहियां अनुमोदन के लिए कार्यकारी समिति और प्रबंध समिति के समक्ष रखी जाएंगी।

7. राज्य युवा रेड क्रास समिति या कनिष्ठ रेड क्रास समिति:- युवक कनिष्ठ रेड क्रास क्रियाकलापों के संवर्धन और विकास करने के लिए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर प्रत्येक राज्य रेड क्रास या कनिष्ठ रेड क्रास के लिए एक उप-समिति होगी।

8. प्रबंध समिति शाखों की आवश्यकताओं के अनुसार कोई अन्य समिति या समितियों का गठन करने की शक्ति होगी।

अनुसूची 4

(नियम 13)

जिला/उप जिला/स्थानीय शाखाएं

1. सूचना की प्रक्रिया:

(क) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र शाखाओं की प्रबंध समिति जिला शाखाओं का गठन करेगी। सभी जिला शाखाएं अपने-अपने राज्य या संघ राज्यक्षेत्र शाखा के नियंत्रणाधीन होंगे।

(ख) जिला शाखा, राज्य शाखा के नियमों और विनियमों के उपबंधों के भीतर संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र शाखा की प्रबंध समिति के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, शाखा के कार्यकलापों को करने के लिए अपने स्वयं के नियम विरचित कर सकेगी।

(ग) किसी जिला शाखा का गठन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाएगा :-

- सामान्यतया, साधारण बैठक शाखा के प्रस्तावित मुख्यालयों पर होगी, जिसकी सूचना संपूर्ण जिले में व्यापक रूप से दी जाएगी।
- इस बैठक में कम से कम दस सदस्यों की एक जिला शाखा प्रबंध समिति का निर्वाचन किया जाएगा जिसके अंतर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अवैतनिक कोषाध्यक्ष भी हैं।
- समिति के सभी सदस्य, सोसाइटी के अभिदाता सदस्य होंगे और उनमें से प्रत्येक सदस्य, वार्षिक साधारण बैठक पश्चात् आयोजित जिला समिति की अपनी पहली बैठक में इस आशय की शपथ लेगा कि वह रेड क्रास के मूल सिद्धांतों का अनुसरण करेगा और उसे सौंपे गए कार्य और उल्लंदायित्वों को करने के लिए सहमत रहेगा/रहेगी।
- जिला शाखा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र शाखा के मुख्यालयों के, साधारण अधिवेशन के संकल्प, संबंधित जिला शाखा के गठन का प्रस्ताव, सदस्यता की शर्तें, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का नाम देते हुए कार्यकारी सदस्यों की सूची और रेड क्रास के उद्देश्यों के अनुसार रेड क्रास के आवश्यक मूल भूत क्रियाकलापों का अनुपालन करने और जिला शाखा के गठन के अनुरोध के साथ अभिदाय के 30% शेयर (राज्य या संघ राज्यक्षेत्र शाखा के 15% और मुख्यालयों के 15%) के साथ नामंकित कम से कम 100 सदस्यों की (जिसके अंतर्गत 50 आजीवन सदस्य भी हैं) सूची की एक प्रति भेजेंगी। उपजिला शाखाओं की दशा में अभिदाय के 30% शेयर के साथ 50 सदस्यों की सूची (जिसमें 25 आजीवन सदस्य होंगे) भेजी जाएगी।
- (v) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र शाखा प्रबंध समिति अनुमोदन के पश्चात् राज्य या संघ राज्यक्षेत्र शाखा प्रबंध समिति, राष्ट्रीय प्रबंध निकाय को शाखा के गठन की सूचना देगी।

2. जिला/उप जिला शाखाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष :

(क) अध्यक्ष:- जिले का उपायुक्त या जिला कलैक्टर या जिला मजिस्ट्रेट जिला शाखा का अध्यक्ष होगा।

(ख) उपाध्यक्ष:- उपाध्यक्ष नाम निर्देशन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

(ग) सभापति:- शाखा का सभापति तीन वर्ष की अवधि के लिए जिला प्रबंध समिति द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा।

(घ) कोषाध्यक्ष:- शाखा के कोषाध्यक्ष का निर्वाचन समिति द्वारा वार्षिक साधारण बैठक के पश्चात् आयोजित इसकी पहली बैठक में किया जाएगा।

3. सदस्यों का नामांकन :

जिला शाखाओं द्वारा नामांकित सदस्य भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के सदस्य होते हैं। नामांकन राष्ट्रीय मुख्यालयों पर प्रबंध निकाय द्वारा अधिकारित नियमों, अभिदान और सदस्यता के ग्रेडों के अनुसार किया जाएगा। जिला शाखा संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र शाखा के अपने-अपने महासचिव राज्य शाखा और राष्ट्रीय मुख्यालय के सदस्यता अभिदान के 30 प्रतिशत अंश के साथ नामांकित नए सदस्यों की मासिक सूची प्रस्तुत करेगी। जैसे ही नए सदस्यों को सम्बन्धित रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, उन्हें संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र शाखा के माध्यम प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

जिला शाखा से अपने गठन के एक वर्ष के भीतर विभिन्न प्रवर्गों के 500 सदस्यों को नामांकित करना अपेक्षित होगा।

4. जिला शाखाओं के कृत्य :

जिला शाखाओं के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

- (क) एकीकृत नियमों के अध्याय 2 में उपशीर्षक उद्देश्यों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करना;
- (ख) नियमानुसार जनसाधारण से विभिन्न प्रवर्गों के अभिदानकर्ता सदस्यों को नामांकित करना;
- (ग) जन साधारण से दान, अभिदान एकत्र करना, नियमानुसार राज्य शाखा का अंश रखना/प्रेषित करना;
- (घ) सदस्यों में रेड क्रासके कार्यों में रुचि को प्रोत्साहित करना;
- (ङ) सोसाइटी के लक्ष्यों और उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की शाखा को वित्तीय रूप से और अन्यथा समर्थित करना;
- (च) आगामी मास में कार्य की अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट संबंधित राज्य शाखा को प्रस्तुत करना;
- (छ) शाखा के अध्यक्ष द्वारा नियत तारीख और स्थान पर सभी सदस्यों की वार्षिक साधारण बैठक आयोजित करना। वार्षिक साधारण बैठक में निम्नलिखित का अनुमोदन होगा -

 - (i) पूर्ववर्ती वर्ष के आगम
 - (ii) पूर्ववर्ती वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट।
 - (iii) शाखा के पूर्ववर्ती वर्ष के संपरीक्षित लेखे।
 - (iv) आगामी वर्ष की प्राप्तियों और व्यय का बजट।
 - (v) संपरीक्षकों की नियुक्ति।
 - (vi) नियमानुसार शाखा के सभापति और जिला शाखा समिति के अन्य सदस्यों का निर्वाचन।
 - (vii) अपनी-अपनी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की शाखा को वार्षिक रिपोर्ट, पूर्ववर्ती वर्ष की आय और व्यय का वार्षिक संपरीक्षित कथन और तुलन पत्र तथा वार्षिक साधारण बैठक की कार्यवाहियों की एक प्रति प्रस्तुत करना।

अनुसूची 5

(नियम 14)

राज्य और संघ राज्यक्षेत्र शाखा समितियों का प्रबंधन

1. प्रबंधन :

प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का महासचिव राज्य शाखा कार्यकारी अधिकारी होगा। वह सभापति के साधारण नियंत्रण और निदेश के अधीन होगा/होगी। महासचिव की सेवा के निवंधनों और शर्तों का विनिश्चय प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा।

आरंभ में महासचिव की पदावधि तीन वर्ष की होगी, पदावधि के पूर्ण होने पर पद रिक्त हो जाएगा। विद्यमान सचिव यदि इच्छुक हो तो एक और अन्य पदावधि के लिए आवेदन कर सकेगा।

2. महासचिव के कृत्य :

अन्य के साथ, महासचिव निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

- (i) वार्षिक साधारण बैठक, प्रबंध समिति और इसकी समितियों के विनिश्चयों तथा उसे समनुदेशित आदेशों का कार्यान्वयन करना;
- (ii) राज्य शाखा मुख्यालयों को निदेश देना और उसे न्यस्त कार्य के कार्यकरण हेतु उत्तरदायी होना;
- (iii) प्राप्ति और व्यय के वजट प्राक्कलनों का प्रारूपण करना तथा वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना;
- (iv) प्रबंध समिति और इसकी समितियों के विनिश्चयों के अनुसार मुख्यालयों की विभिन्न सेवाओं को संगठित करना/सचिवालय में सक्षम कर्मचारिवंद नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो नियमानुसार उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना;
- (v) सभी संव्यहारों के लिए जिसमें अर्जन, प्रशासन और शाखा के संसाधनों के व्यय से मंबंधित नोटेरी प्ररूप में निष्पादित संव्यवहार सम्मिलित हैं, तीसरे पक्षकारों और न्यायालयों के संबंध में राज्य शाखा का प्राधिकृत प्रतिनिधि होना;
- (vi) वार्षिक साधारण बैठक, प्रबंध समिति और/या इसकी समितियों द्वारा विनिश्चय की गई कार्रवाई को निदेशित करना। आपवादिक या आकस्मिक परिस्थितियों में महासचिव सभी उचित उपाय करेगा;
- (vii) राज्य शाखा की वार्षिक गतिविधियों पर प्रबंध समिति और वार्षिक साधारण बैठक में रिपोर्ट करना;
- (viii) प्रबंध समिति, इसकी समितियों की सभी बैठकों और वार्षिक साधारण बैठक में पदेन प्रेषक के रूप में भागीदारी करना और उसका कार्यवृत्त लिखना;
- (ix) सभी चेकों, पराक्राम्य लिखतों पर हस्ताक्षर करना और सोसाइटी के बैंक खातों तथा इसकी सहवद्ध निधियों को प्रचालित करना जिसमें संदाय आदेश सम्मिलित है तथा राज्य शाखा के निमित्त संदाय करना तथा समय-समय पर प्रबंध समिति द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्तियां जारी करना;
- (x) समितियों और शाखाओं के निमित्त बैठक की सूचना देना;
- (xi) प्रबंध समिति के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में जिला/उप जिला शाखाओं का निरीक्षण करना;
- (xii) उसकी अनुपस्थिति में राज्य शाखा के अधिकारियों को प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य शक्तियां प्रत्यायोजित करना जो वह उचित समझे;
- (xiii) प्रेस को संसूचना के लिए प्रचार हेतु सभी सामग्री विनियमित और अनुमोदित करना। किसी भी अधिकारी को प्रेस, प्रेस अभिकरणों या अन्य प्रचार संगठनों के साथ सीधे संसूचना करने के लिए अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि उसे महासचिव द्वारा प्राधिकृत न किया जाए।

अनुसूची 6

(नियम 15)

जिला शाखा समिति का प्रबंधन

1. जिला शाखा का प्रबंधन :-

- (1) जिला शाखा में सभापति, उपसभापति और अवैतनिक कोषाध्यक्ष समेत कम से कम दस सदस्यों की एक समिति होगी। सभी सोसाइटी की सदस्यता वाले सदस्य होना चाहिए। वार्षिक साधारण बैठक के पश्चात् पहली बैठक में समिति और उपसमिति के सदस्य आंदोलन के मूल सिद्धांतों और शाखा के संविधान का पालन करने की शपथ लेंगे। जिला शाखा कार्यकारी समिति एक सचिव की नियुक्ति करेगी जो शाखा के दिन प्रतिदिन के कार्रवार का संचालन करेगा और शाखा की प्रशासनिक संरचना का प्रबंधन करेगा।
- (2) कार्यकारणी समिति उपसमितियों अर्थात् वित्त समिति, स्वास्थ्य समिति, जेआरसी/वाईआरसी समिति, आपदा प्रशमन समिति और अन्य समितियों का गठन करेगी जैसा कार्यकारी समिति शाखा के विशिष्ट क्रियाकलापों को करने के लिए ठीक समझा जाए। ऐसी समिति के सदस्य सोसाइटी के सदस्य होने चाहिए किन्तु उनका शाखा कार्यकारी समिति के सदस्य होना

आवश्यक नहीं है तथा अंत में यह प्रयास किया जाना चाहिए की ये वे व्यक्ति हैं जो इसके साथ सहवद्ध क्रियाकलापों में विशिष्टिया इच्छुक हैं। जिने में सरकार के विभागों के संबंधित प्रमुख अपनी अपनी उपसमितियों में सहकारी पदेन सदस्यों के रूप में सम्मिलित किए जा सकेंगे। उपसमितियों को यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जनसाधारण के विभिन्न हिस्सों अर्थात् पदधारियों, शिक्षाविदों, चिकित्सा कार्मिकों, व्यापारियों, कृषक, वैकरों आदि का समर्थन है, यथासभव वृहद आधार वाला होना चाहिए।

2. बैठकें :-

- (1) जिला शाखा कार्यकारी समिति और उपसमितियों की बैठकें तीन महीने में एक बार आयोजित की जाएंगी। ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति समिति के कुल सदस्यों का 30% होगी।
- (2) जिला शाखा की कार्यकारी समिति नियमानुसार राज्य शाखा की वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) का निर्वाचन कर सकेगी।
- (3) प्रत्येक जिला शाखा अपने क्रियाकलापों को जनसाधारण के समक्ष रखने का प्रयास करेगी। दान और अभिदान एकत्रित करना अधिक आसान होगा यदि जनसाधारण को शाखा द्वारा की जाने वाली सेवाओं के बारे में निरंतर जानकारी दी जाए।
- (4) प्रत्येक जिला शाखा जिले में ऐसे अन्य संगठनों सहकार और संबद्ध होने का प्रयास करेगी जिनके क्रियाकलाप रेड क्रास के सिद्धांतों से समझौता किए बिना सोसाइटी के क्रियाकलापों से सहवद्ध हैं।

3. संविदा आदि में हित :-

जिला शाखा समिति का कोई भी सदस्य जिला शाखा की कार्यकारी समिति की पूर्व मंजूरी के बिना किन्हीं अन्य संगठनों या अभिकरणों से संविदा या संब्यवहार नहीं करेगा।

4. जिला शाखा सचिव :-

जिला शाखा सचिव सामाजिक कार्य की अभिरूचि वाला संपूर्ण जिले में रेड क्रास के क्रियाकलापों के लिए अपना समय समर्पित करने वाला तथा शाखा के प्रशासन का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति होगा।

5. जिला शाखा सचिव के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :-

- (1) यह देखना कि समिति का सम्यक् रूप से गठन हुआ है और पूर्ण प्रतिनिधित्व है।
- (2) सभी वर्तमान कारबार के संब्यवहारों के लिए तीन मास से अनधिक नियमित अंतरालों पर कार्यकारी समिति की बैठकें तथा वर्ष में एक बार शाखा की वार्षिक साधारण बैठक आयोजित करना जिसमें सभी सदस्य आमंत्रित होने चाहिए तथा इसकी सूचना परिचालित की जाएंगी।
- (3) नियमों के अनुसार सदस्यता के सभी प्रवर्गों में सदस्यों का नामांकन करना तथा रेड क्रास के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में जनसाधारण को जागृत करने के लिए प्रचार करना।
- (4) संपरीक्षित लेखों तथा शाखा के लेखों पर कोषाध्यक्ष की टिप्पणियों से मिलकर वनी वार्षिक रिपोर्ट को प्रकाशित करना तथा सभी सदस्यों को परिचालित करना।
- (5) सहयोगी संगठनों जैसे जिला बोर्डों, सैनिक बोर्डों, ग्रामीण समुदाय परिषदों, सैट जॉन एम्बुलेंस, बालक स्काउटों, बालिका गाइडों और सहकारी सोसाइटीयों के साथ संपर्क में रहना तथा उनके साथ ऐसे विषयों में सहयोग करना जो सामान्य हित के हों।
- (6) रेड क्रास में ऐसे सभी क्रियाकलाप करना जो जिला समिति द्वारा विनिश्चित किए जाएं।
- (7) राज्य शाखा सचिव के निकट संपर्क में रहना, उसके द्वारा यथाअपेक्षित ऐसी रिपोर्टें भेजना और राज्य शाखा की वार्षिक बैठक में उपस्थित रहना या अन्य व्यक्तियों उपस्थित रहने के लिए तैनात करना।
- (8) चंदा एकत्रित करना और चंदे के हिस्से के साथ राज्य मुख्यालयों को मासिक कथन अग्रेषित करना।
- (9) जिला शाखाएं भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के राष्ट्रीय मुख्यालय और राज्य शाखाओं द्वारा समय-समय पर जारी सभी नियमों और विनियमों के अधीन होंगे।
- (10) आगामी वर्ष के लिए राज्य शाखा का बजट जिला शाखा समिति और वार्षिक साधारण बैठक द्वारा तैयार और पारित किया जाएगा।
- (11) जिला शाखा, इसके अभिलेख और उनके द्वारा वित्त पोषित या समर्थित संस्थाओं के अभिलेख राज्य शाखाओं या राष्ट्रीय मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए खुले होंगे।

6. शाखा का विघटन :- (1) इस प्रयोजन के लिए विशेष तौर पर बुलाई गई बैठक में उपस्थित जिला शाखा के 3/5 से अन्यून किसी भी संघया में सदस्य यह अवधारित कर सकेंगे कि शाखा का विघटन किया जाए। विघटन से संबंधित ऐसे संकल्प को, तथापि, राज्य शाखा के महासचिव को अग्रेपित किया जाना चाहिए तथा वह प्रभावी नहीं होगी जब तक की इसका अनुमोदन राज्य शाखा प्रबंध समिति द्वारा न किया जाए। ऐसी मामले में जिला शाखा इसकी संपत्ति, इसके दावों और दायित्वों के निपटारे तथा समझौते के लिए व्यवस्था करेगी और निधियों तथा संपत्ति को सौंपेगी जो राज्य शाखा महासचिव के पास रह सकेगी। ऐसी गौण निधियां और संपत्ति राज्य शाखा की साधारण निधियों में जोड़ दी जाएंगी या नई गठित की गई जिला शाखा को सौंप दी जाएंगी।

(2) कोई जिला शाखा जिसका प्रशासन राज्य शाखा प्रबंध समिति की राय में राज्य शाखा समिति द्वारा अधिकथित सिद्धांतों और नितियों के अनुसार नहीं हैं, राष्ट्रीय मुख्यालय के अनुमोदन के अध्यधीन, राज्य शाखा द्वारा नियंत्रण में लिया जा सकेगा तथा उनके द्वारा व्यक्ति निधियां और संपत्ति राज्य शाखा की साधारण निधियों में जोड़ी जा सकेंगी।

7. नियमों में संशोधन :-

राष्ट्रीय प्रबंध निकाय के अनुमोदन के अध्यधीन, राज्य शाखा प्रबंध समिति को यथा आवश्यक समय-समय पर इन नियमों को संशोधित या परिवर्तित करने का अधिकार होगा।

8. उप जिला शाखा या स्थानीय शाखा :-

- (1) जिला शाखाएं तालुका स्तर पर उप जिला शाखाएं और उप तालुका स्तर पर स्थानीय शाखाएं उसी प्रकार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार गठित कर सकेंगी जिस आधार/प्रक्रिया पर जिला शाखा का गठन हुआ है। इन शाखाओं के गठन के समय शाखा का राजस्व क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा।
- (2) जब कभी उप जिला शाखाओं का गठन किया जाता है तो उन्हें जिला शाखाओं के लिए कार्य हेतु अधिकथित निदेशों का अनुसरण करना चाहिए, जिनके माध्यम से उन्हें पत्राचार करना चाहिए और जिला तथा राज्य शाखाओं और राष्ट्रीय मुख्यालय के बीच समान रूप से बांटने के लिए संपूर्ण चंदे का 45% भेजना चाहिए।

अनुसूची 7

(नियम 16)

राज्य और संघ राज्यक्षेत्र शाखा समिति का वित्त

वित्त

1. बैंकर :-

राज्य शाखा के बैंकर और शाखा द्वारा प्रशासित सभी निधियों को भारतीय स्टेट बैंक, इसके समनुपंगियों और/या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जाएगा जैसा प्रबंध समिति समय-समय पर चालू खातों या बचत बैंक खातों और लघु अवधि या दीर्घ अवधि नियत जमाओं को बनाए रखने के लिए नामित करें।

2. संपरीक्षक :-

प्रबंध समिति/वार्षिक साधारण बैठक द्वारा लेखों के संपादन और प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए कानूनी संपरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सोसाइटी के वार्षिक लेखे और सोसाइटी द्वारा प्रशासित निधियां संपरीक्षित की जाएंगी।

3. निवेश :-

निधियों के सभी निवेश आय कर अधिनियम, 1961 के अधीन यथा उपबंधित किन्हीं प्ररूपों में धारित किए जाएंगे। निवेशों के संबंध में जिसमें नियत जमाओं को रखना और लेना सम्मिलित हैं, बैंकरों और अन्य संबंधित अभिकरणों को सभी संब्यवहार, मंजूरी, निर्वहन और सूचनाएं प्रबंध समिति द्वारा विरचित नियमों के अनुसार अवैतनिक कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष की सहमति से महासचिव द्वारा किए जाएंगे।

4. बैंक खातों का प्रचालन :-

(1) नई जमाएं/चालू बैंक खाते, यदि अपेक्षित हों, राज्य शाखा और/या इसकी किसी सहवद्ध निधियों के नाम में अथवा वित्त समिति/प्रबंध समितियों के अनुमोदन से इसके किसी कार्यक्रम के अधीन खोले जा सकेंगे, या

(2) सोसाइटी के चालू और बचत बैंक खातों तथा इसकी सहबद्ध निधियों का प्रचालन निम्नलिखित में से किन्हीं दो व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा :-

(3) समय-समय पर प्रबंध समिति द्वारा विनिश्चत उपसभापति, महासचिव या अवैतनिक कोषाध्यक्ष ।

(4) महासचिव की अनुपस्थिति में (दौरा/छुट्टी आदि पर होने के कारण) शाखा का अगला ज्येष्ठतम अधिकारी समय-समय पर प्रबंध समिति के विनिश्चय के अनुसार महासचिव द्वारा जारी किए गए कार्यालय आदेश के अनुसार महासचिव के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

5. वित्त वर्ष :-

शाखा का वित्त वर्ष 1 अप्रैल- 31 मार्च होगा।

अनुसूची 8

(नियम 17)

जिला/उपजिला /स्थानीय शाखा समिति का वित्त

वित्त

1. बैंकर :-

राज्य शाखा के बैंकर और शाखा द्वारा प्रशासित सभी निधियों को भारतीय स्टेट बैंक, इसके समनुषंगियों और/या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जाएगा जैसा प्रबंध समिति समय-समय पर चालू खातों या बचत बैंक खातों और लघु अवधि या दीर्घ अवधि नियत जमाओं को बनाए रखने के लिए नामित करें ।

2. संपरीक्षक :-

प्रबंध समिति/वार्षिक साधारण बैठक द्वारा लेखों के संपादन और प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए कानूनी संपरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउटेंट द्वारा सोसाइटी के वार्षिक लेखे और सोसाइटी द्वारा प्रशासित निधियां संपरीक्षित की जाएंगी ।

3. निवेश :-

निधियों के सभी निवेश आय कर अधिनियम, 1961 के अधीन यथाउपबंधित किन्हीं प्रूफों में धारित किए जाएंगे । निवेशों के संबंध में जिसमें नियत जमाओं को रखना और लेना सम्मिलित हैं, बैंकरों और अन्य संबंधित अभिकरणों को सभी संव्यवहार, मंजूरी, निर्वहन और संसूचनाएं जिला प्रबंध समिति द्वारा विरचित नियमों के अनुसार अवैतनिक कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष की सहमति से सचिव द्वारा किए जाएंगे ।

4. बैंक खातों का प्रचालन :-

(1) नई जमाएं/चालू बैंक खाते, यदि अपेक्षित हों, जिला शाखा और/या इसकी किसी सहबद्ध निधियों के नाम में अथवा वित्त समिति/प्रबंध समितियों के अनुमोदन से इसके किसी कार्यक्रम के अधीन खोले जा सकेंगे ।

(2) सोसाइटी के चालू और बचत बैंक खातों तथा इसकी सहबद्ध निधियों का प्रचालन निम्नलिखित में से किन्हीं दो व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा :-

(3) समय-समय पर प्रबंध समिति द्वारा विनिश्चत उपसभापति, सचिव या कोषाध्यक्ष ।

(4) सचिव की अनुपस्थिति में (दौरा/छुट्टी आदि पर होने के कारण) शाखा का अगला ज्येष्ठतम अधिकारी समय-समय पर जिला प्रबंध समिति के विनिश्चय के अनुसार सचिव द्वारा जारी किए गए कार्यालय आदेश के अनुसार सचिव के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

5. वित्त वर्ष :-

शाखा का वित्त वर्ष 1 अप्रैल- 31 मार्च होगा।

मनीष चौधरी, संयुक्त सचिव आई आर सी एस, एन एच क्यू

[विज्ञापन-III/4/असा./359/17]

INDIAN RED CROSS SOCIETY

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2017

F.No.12017/01/09/Diss - In exercise of the powers conferred by clauses (e), (f) and (j) of sub-section (1) of section 5 of the Indian Red Cross Society Act, 1920 (XV of 1920), the Managing Body of the Indian Red Cross Society, with the previous approval of the President of the Society, hereby makes the following rules for the State, Union Territory and District Branch Committees of Indian Red Cross Society, namely: -

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title and Commencement –**

- (1) These rules may be called the Indian Red Cross Society Branch Committees Rules, 2017.
- (2) They shall come into force at once.
2. **Definitions .-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,--
 - (a) "Act" means the Indian Red Cross Society Act, 1920 (XV of 1920);
 - (b) "Annual General Meeting" means a meeting of the Members of the Society;
 - (c) "Branch Committee" means the State Branch Committee, the Union Territory Branch Committee and the District Branch Committee, respectively;
 - (d) "Committees" means the Management Committee, the Executive Committee, the Finance Committee, the State Youth Red Cross Committee and the Junior Red Cross Committee respectively;
 - (e) "Management Committee" means the Committee at State Level, Union Territory Level and District Level respectively;
 - (f) "Society" means the Indian Red Cross Society;
 - (g) "Schedule" means the Schedules appended to these rules.
- 2 Words and expression used herein and not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

GENERAL PROVISIONS

3. **Fundamental Principles** – The Indian Red Cross Society shall be guided in its work by the principles of International humanitarian law and shall respect the fundamental principles of the Red Cross and Red Crescent Movement, namely: -
 - (i) **HUMANITY:** The International Red Cross and Red Crescent Movement, born of a desire to bring assistance without discrimination to the wounded on the battlefield, endeavors, in its international and national capacity, to prevent and alleviate human suffering wherever it may be found, its purpose is to protect life and health and to ensure respect for the human being. It promotes mutual understanding, friendship, co-operation and lasting peace amongst all people.
 - (ii) **IMPARTIALITY:** It makes no discrimination as to nationality, race, religious beliefs, class or political opinions. It endeavors to relieve the suffering of individuals, being guided solely by their needs, and to give priority to the most urgent cases of distress.
 - (iii) **NEUTRALITY:** In order to continue to enjoy the confidence of all the Movement may not take sides in hostilities or engage at any time in controversies of a Political, racial, and religious of ideological nature.
 - (iv) **INDEPENDENCE:** The Movement is independent. The National Societies, while auxiliaries in the humanitarian services of their governments and subject to the laws of their respective countries, must

always maintain their autonomy so that they may be able at all times to act in accordance with the principles of the Movement.

- (v) **VOLUNTARY SERVICE:** It is a voluntary relief movement not prompted in any manner by desire for gain.
- (vi) **UNITY:** There can be only one Red Cross Society in any one country. It must be open to all. It must carry on its humanitarian work throughout its territory
- (vii) **UNIVERSALITY:** The International Red Cross and Red Crescent Movement, in which all Societies have equal status and share equal responsibilities and duties in helping each other, is worldwide

4. **Emblem** .- The Indian Red Cross Society has as emblem, the heraldic sign of the Red Cross on a white background i.e. emblem of Red Cross with vertical and horizontal arms of the same length on and the designation Red Cross.
5. **Relations with Branches** .- The relationship between Branches and the State headquarters shall be of mutual respect and cooperation in all respects including, Administrative, Strategic and Financial, both complementing and supplementing each other's work.
6. **Role of the national headquarters** .- The national headquarters shall, in consultation with the State Branches, develop policies and strategies for the better functioning of the branches keeping in mind the principle of unity. All Branches shall work within these guidelines, framework and strategic directions agreed with the National headquarters.
7. **Interpretation** .- On the commencement of these rules, the guidelines, every rule, in force immediately before such commencement shall, in so far as it provides for any of the matters contained in these rules shall cease to operate:
Provided that any doubt arises about the interpretation of these rules/guidelines, it shall be referred to the Managing Body of Indian Red Cross Society, for a decision and the decision of the Managing Body shall be final.
8. **Amendment to these Rules and Procedures** .- Any proposal for amending these rules and procedures for a State, Union Territory or as the case may be, a District Branch Committee shall be submitted to the Managing Body for approval, before such amendments may be adopted by the State, Union Territory or as the case may be, the District/ Branch Committee.
9. **Mission and objectives** .- (1)The mission of the Indian Red Cross Society is to prevent and alleviate suffering with complete impartiality, making no discrimination as to nationality, race, sex, religious beliefs, language, class or political opinions.
(2) For this purpose, its task is in particular,-
 - (i) to act in case of armed conflict, and in peace to prepare to act in all the fields covered by the Geneva Conventions within the scope of International Humanitarian Law and on behalf of all war victims, both civilian and military;
 - (ii) to contribute to the improvement of health, the prevention of disease and maternity and child care in the community;
 - (iii) to educate the population on how to prepare for and respond to disasters;
 - (iv) to organise emergency relief services for the victims of disasters and mitigation of their suffering;
 - (v) to promote the participation of children and youth in the work of the Red Cross;
 - (vi) To promote the Fundamental Principles of the Movement and the International Humanitarian Law in order to inculcate humanitarian ideals among the population, and in particular among children and youth;
 - (vii) to recruit, train and develop volunteers or personnel as necessary for undertaking humanitarian responsibilities;
 - (viii) to serve the community within its jurisdiction, the State branch may initiate activities to address local needs and priorities as approved by the Management Committee of the branch; and
 - (ix) to ensure correct use of the Red Cross emblem, to maintain its protective value.

CHAPTER III

The Composition, Functioning and Jurisdiction of the Branch Committees and Management Committees

10. Membership and fundraising.- The particulars of the membership, eligibility to become the members of the society, rights and duties, cession of membership, and fundraising shall be such as may be specified in Schedule I.

11. The composition, powers, functions and tenure of the members of the Branch Committees and annual general meeting of the members of the society shall be such as specified in Schedule II.

12. The composition, powers, functions and tenure of the members of the State and Union Territory Managing Committees shall be such as specified in Schedule III.

13. The composition, powers, functions and tenure of the members of the District Managing Committee shall be such as specified in Schedule IV.

14. The management of State and Union Territory Branch Committee shall be such as specified in Schedule V.

15. The management of District Branch Committee shall be such as specified in Schedule VI.

16. The finance of State and Union Territory Branch Committee shall be such as specified in Schedule VII.

17. The finance of District Branch Committee shall be such as specified in Schedule VIII.

18. The State, Union Territory and District Branch shall exercise jurisdiction over their entire territory included in the State, Union Territory and District respectively and shall have power to supervise and regulate their activities.

SCHEDULE – 1

(Rule 10)

MEMBERSHIP & FUNDRAISING

Members shall be enrolled at the district or sub-district levels. State Branches shall enroll members only when the District or Sub-District Branches are not constituted. For this, the explicit permission of the national managing body is required.

1. **Addresses of Members** .- All State and Union Territory Branches shall maintain records of all members enrolled at the district and sub-district levels. The addresses of members shall be updated regularly.
2. **Eligibility** .- (1) Membership of the Society is open to all residents of India irrespective of their nationality, race, sex, religions, beliefs, language, class or political opinions.
(2) Members may be subscribing or honorary.
(3) The categories of membership, the rates of subscription and share of subscription between the Headquarters, State and District Branches shall be as decided by the National Managing Body from time to time. The categories of members and their respective rates of subscription are as follows, namely :-

Category	Present rates of subscription
	Rs.
(i) Patrons	20, 000/-
(ii) Vice Patrons	10, 000/-
(iii) Life Members	500/-
(iv) Life Associates	250/-
(v) Annual Members	100/-
(vi) Annual Associate	50/-
(vii) Institutional Members (Annual)	5,000/-

3. **Subscribing Members** .- Subscribing members are those who pay their subscription in lump sum as fixed by the National Managing Body and who may renew their membership by paying their subscription charges.
4. **Honorary Members** .- Persons in recognition of their exceptional services rendered to the Society may be given honorary membership by the State Managing Body on the approval of the National Managing Body.
5. **Allocation of membership subscription** .- The allocation of membership subscription made either to National Headquarters or to the State, Union Territory and District Branch concerned shall be apportioned in the following manner, namely:-

(i)	National Headquarters	15 %
(ii)	State/Union Territory Branch	15 % and
(iii)	District Branch	70% (including 15% share of sub Dist. Branch if one exists.):

Provided if the member is not belonging to any District, the apportionment shall be as follows: -

(iv)	National headquarters	15 %
(v)	State and Union Territory Branch	85 %

6. **Duties of members** .- The enrolled members shall perform the following duties, namely:-

- (a) to recognise and comply with the rules and regulations of the Society and pay their subscription regularly;
- (b) to adhere to and disseminate the Fundamental Principles of the Movement, The International Humanitarian Law and the protection of the Red Cross emblem;
- (c) to promote and participate actively in the activities of the Indian Red Cross Society at the State, Union Territory and District level including the promotion of membership.

7. **Rights of members** .- The members shall have the following rights, namely:-

- (a) to vote in the meetings as per rules;
- (b) they have the right to elect and to be elected at the District level and if elected, in the assemblies of higher levels of the organisation;
- (c) to participate in the various Red Cross programmes or campaigns or activities and undertake voluntary service;
- (d) annual members shall have no right to vote.

8. **Cessation of membership** .- The membership shall be ceased to be exist if,-

- (a) any member may withdraw from the membership by giving notice in writing at any time to the Branch from where he or she has become the member;
- (b) annual membership expires twelve months from the date of registration, unless the membership is renewed;
- (c) the State and Union Territory Branch may expel a member for grave misconduct or for any of such member's activity prejudicial to the image of the Red Cross for which the member concerned should be given full opportunity to explain his or her conduct. Any member so expelled should be informed in writing and the member concerned shall have a right to appeal in writing to the Chairman of the State and Union Territory Branch concerned if desired by the said member. The State and Union Territory Branch shall keep National Headquarters informed. The final appeal in this regard lies with the National Managing Body. Grave misconduct for the purpose of expulsion is defined as the display of character or morality incompatible with the seven Fundamental Principles or engagement in activities which are detrimental to the reputation or the activities of the National Society.

9. **Donations and Contributions** .- Donations received by the Headquarters or any of the Branches earmarked for a particular purpose for which the same is to be used, will be utilized by the receiving body for the purpose for which it was received, provided that in case of donations received by a District Branch and not earmarked for a particular purpose, 15 percent of the same shall be payable to the State and Union Territory Branch and 15% to the National Headquarters and in case of donations received by any of the State and Union Territory Branch not earmarked for a particular purpose, 15% of the same shall be payable to the Headquarters.

10. **Fund Raising** .- The Provisions of percentage of apportionment as stated above shall also apply in respect of net proceeds of collections from fairs, raffles, sale of pin flags, seals, fetes, lotteries and variety shows and any other collections received, not earmarked for a specific purpose, by any of the District or State, Union Territory or District Branch.

11. **Junior or Youth Red Cross funds** .- All State and Union Territory Branches shall contribute at least Rs. 10,000/- towards Junior Red Cross and Rs. 10,000/- towards Youth Red Cross funds every year and the National Headquarters shall contribute double the matching contribution of the Branches. These contributions may form the nucleus for the Junior Red Cross or Youth Red Cross Fund at the National Headquarters.

SCHEDULE II

(Rule 11)

1. Governance and Composition :

President and Vice Presidents of State and Union Territory Branch Committees

(a) President: The Governor or its equivalent of the State shall be the President of the State Union Territory Branch Committees

(b) Vice-President: The Vice President shall be nominated by the President for a term of two years.

(c) Chairman: The Chairman of the Branch shall be elected by the State or Union Territory Branch Committee
Managing Committee at the first meeting held after its composition or election from amongst its members for a period of three years;

(d) Treasurer: The Treasurer for the Branch shall be elected by the Managing Committee at its first meeting held after the Annual General Meeting.

2. Functions, Powers and Terms of Office Bearers

A. President :- The President,-

- (i) Shall preside over the Annual General Meetings.
- (ii) Shall approve the minutes of General Meetings.
- (iii) Shall exercise other powers as provided under these rules.

The Vice President shall in the absence of the President, discharge the functions of the President.

B. Chairman, Managing Committee:- The Chairman :-

- (i) shall preside over the meetings of the Managing Committee.
- (ii) may subject to the availability of funds,-
 - (a) approve to incur budgeted expenditure not covered within the powers of the General Secretary subject to reporting to the Finance or Managing Committee in normal course;
 - (b) approve to incur expenditure in concurrence with the Treasurer, up to Rs.1,00,000 on each occasion, on non-budgeted items in any emergency arising between two meetings of Managing Committee, subject to reporting to the Finance or Managing Committee in normal course;

(c) shall decide such issues arising between two meetings of the Managing Committee the consideration of which cannot be postponed subject to reporting to the Managing Committee at its next meeting.

C. Honorary Treasurer :- The Honorary Treasurer shall,-

- regulate the finances and accounts of the Branch;
- advise the Managing Committee or Sub-Committees in all matters related to Finance, Investments, Income, Expenditure and Budget provisions, etc;
- regulate the maintenance of registers of investments and properties, both moveable and immoveable, in such form and manner as the Managing Committee desires and exercise periodical checks over them;
- present budget estimates of receipts and expenditure and annual audited accounts of the Branch to the Finance Committee, Managing Committee and the Annual General Meeting.

3. The tenure of the Managing Committee, its Chairman, Vice-Chairman and Treasurer shall be for three years.

4. Annual General Meeting :- The Annual General meeting of the State or Union Territory Branch Committee shall be held at the Headquarters of the Branch or at a place, upon a date (or dates) to be fixed by the President. The notice of the Annual General Meeting shall be given at least 21 days before the date fixed, by an official circular and by publication in the press specifying the date, time and place of the meeting to be held and the business to be transacted.

(b) The following shall be entitled to attend the Annual General Meeting and vote on any question that may be submitted to the meeting for determination,-

- Members of the Managing Committee;
- Two Member delegates representing each District Branch Committee;
- One member delegate representing each Sub-District/ taluqa Branch Committee;
- A representative of the National Headquarters may attend the Annual General Meeting as an Observer.

(c) The notice shall specify the following business among others to be transacted :-

- Confirmation of proceedings of Annual General Meeting of the previous meeting
- Presentation and consideration and adoption of Annual report for preceding year.
- Presentation and consideration and adoption of Audited Annual accounts for the preceding year.
- Presentation and consideration adoption of budget estimates for the succeeding year.
- Appointment of State and Union Territory auditor for the following year for the purpose of compilation and certification of accounts.

5. **Extra-Ordinary Annual General Meeting:** - An extra ordinary Annual General Meeting of the Branch may be convened at any time by the President of the State or Union Territory Branch for the purpose connected with the Branch, or by requisition in writing of two thirds of the Branches and,or, Branch membership. At the Extra Ordinary meeting, no business, other than what is notified shall be transacted.

6. **Procedure for Annual General Meeting:-**

- All Annual General meetings shall be presided over by the President or in his/her absence by the Vice-President and in the absence of the Vice President, by the Chairman.
- The resolutions before the Annual General Meeting shall be passed and decided by the majority of the members present and voting. The voting will be by show of hands. In case of an equality of votes, the Chairman of the meeting shall have a second or casting vote.

7. **Quorum:** - Presence of 30% of the eligible members shall form the quorum. In case the quorum is not complete within half an hour of the time fixed for the meeting, meeting shall be adjourned for half an hour to be held on

the same date and same place. At such adjourned meeting the business for which the meeting was called shall be transacted, whether the quorum is present or not.

SCHEDULE III
(Rule 12)

1. (1) Composition of the State and Union Territory Managing Committees:- The Managing Committee of State and Union Territory Branch shall comprise of the following, namely:-
 - (a) Chairman;
 - (b) Treasurer;
 - (c) the Vice Chairman shall be elected by the Managing Committee from amongst themselves at the first meeting held after its composition or election;
 - (d) four members of the State or Union Territory Branch from amongst the Patrons, Vice Patrons and Life Members of the Branch as decided by the Managing Committee;
 - (e) One representative elected by each district Branch Committee;
 - (f) General Secretary of the State or Union Territory Branch will be the member-secretary and non-voting member;
 - (g) the representative of the St. John Ambulance State Council;
 - (h) the Managing Committee may co-opt up to 5 members namely the representatives from the Ministry of Health, Education, Social Welfare etc.) having expertise in any part of the organizations functions.
- (2) All the members of the Committee shall be subscribing members and each one of them shall take Oath in the first meeting of the Managing Committee held after its election or composition to the effect to follow the seven Fundamental Principles of the Red Cross and agree to undertake the tasks and responsibilities assigned to him or her.
2. Powers and functions of the Managing Committee:- The Managing Committee of the Branch has power,
 - (a) To grant recognition to the newly formed District Branches/sub District Branches, to exercise supervision and control over them and to withdraw recognition of Branches on the recommendation by the District Branch Committee or the State Managing Committee.
 - (b) To appoint General Secretary of the State or Union Territory Branch on such terms and conditions of service as it may deem fit.
 - (c) To constitute an Executive Committee, Finance Committee, Junior Red Cross and Youth Red Cross Committee, Disaster Mitigation Committee and other Committees, their functions, powers and duration as it may consider fit from time to time. The proceedings of all the above Committees shall be placed before the Managing Committee at its next meeting for approval.
 - (d) in case of grave misconduct, the Managing Committee shall have the powers to remove the Chairman or Treasurer as the case may be. Grave misconduct for the purpose of removal is defined as the display of character or morality incompatible with the seven Fundamental Principles or engagement in activities which are detrimental to the reputation or the activities of the National Society.
 - (e) to make rules for the management, functions, control and procedure of the State, Union Territory and District Branch.
 - (f) State or Union Territory Managing Committee may appoint another suitable person as President of District Branch in place of DM/DC with reasons to be recorded for such replacement with the previous approval of the president of the State Branch.
3. Conduct of Business:-
 - (a) An ordinary meeting of the Managing Committee shall be held once in three months at such time, date and place as may be fixed by the Chairman or in his absence by the Vice-Chairman.

- (b) An Extra-Ordinary Meeting of the Managing Committee may be called at any time by the Chairman upon a requisition in writing made by 10% or any five members of the Managing Committee, whichever is higher, to consider some exigency.
- (c) Ten day's clear notice of any Meeting of the Managing Committee, specifying the place, date and time of the meeting, and the general nature of the business to be transacted shall be issued by the General Secretary of the State or Union Territory Branch to every member of the Managing Committee by post/courier/fax provided that non receipt of such notice by a member for reasons beyond the control of the Branch shall not render the proceedings invalid.
- (d) At meetings of the Managing Committee 20% of the total members shall form the quorum. If no quorum is present within half an hour of the time fixed for a meeting, the meeting shall be adjourned for half an hour to be held at the same place and date. At such adjourned meeting, the business for which the meeting was called may be transacted whether a quorum is present or not.
- (e) In the event of an equality of votes at any meeting, the Chairman shall have a second or casting vote.

4. Executive Committee:-

- (i) The Managing Committee may at its first meeting after its Constitution appoint an Executive Committee for the transaction of the current business of the State Branch. The transactions of such Committee shall be duly recorded and laid before the Managing Body at its next meeting.
- (ii) The Executive Committee shall consist of—
 - (a) Chairman of the Managing Committee shall be the Chairman of the Committee. In his/her absence, the Vice Chairman or any member to be elected by members present who form the forum may chair the meeting.
 - (b) Five members elected by the Managing Committee from among its members
 - (c) Honorary Treasurer
 - (d) The General Secretary shall be an ex-officio member of the Executive Committee
 - (e) A representative having expertise in any field of the organizations functions nominated by the President of the State Branch
- (iii) The Executive Committee shall ordinarily meet once in two months. The Chairman of the Committee may however, convene a meeting of the Committee whenever in his opinion it is necessary. Four members shall form the quorum.
- (iv) In case of an emergency arising, the Executive Committee may perform any duty laid on the Managing Committee by these rules; but in such case it shall report any action so taken to the Managing Committee at the next meeting.

5. Powers:-

The Executive Committee shall be responsible for ensuring that the urgent business of the Branch is conducted and that the policies and decisions of the Managing Committee are executed or implemented. The minutes of the meeting of the Executive Committee shall be placed before the Managing Committee for ratification.

6. Finance Committee:-

- (a) The Managing Committee shall appoint a Finance Committee consisting of the Vice Chairman of the State or Union Territory Branch as the Chairman of the Committee, two members of the Managing Committee, Honorary Legal Advisor, the Honorary Treasurer and the General Secretary of the Branch.
- (b) All matters relating to the finances of the Branch shall ordinarily be referred to the Finance Committee for advice and opinion before being determined by the Executive Committee or the Managing Committee as the case may be.

- (c) The Managing Committee may empower the Finance Committee to decide on matters of current financial business provided such business does not involve any departure from the objectives of the Society and the money involved is included in the Budget estimates.
- (d) The Finance Committee may likewise empower the General Secretary to incur expenditure of a routine nature involving no departure from the objectives of the Society if the sum is included in the budget estimates.
- (e) The General Secretary may also be empowered by the Finance Committee to incur, when necessary, the expenditure beyond the budget estimates up to a limit as may be determined by them.
- (f) The Finance Committee may also empower the General Secretary to sanction expenditure for specific purposes for which donations have been received in cash or in kind subject to subsequent report to the Managing or Finance Committee. The Finance Committee may likewise empower the General Secretary to incur expenditure in each ordinary case and in emergencies subject to reporting to the Managing or Finance Committee at its next meeting for ratification.
- (g) The Finance Committee shall consider the report of the auditors and scrutinise the annual accounts of the Branch and shall prepare the annual budget of Receipts and Expenditure and submit the same along with its recommendations to the Executive Committee or Managing Committee, for consideration. The detailed report of the auditors shall be submitted to the Honorary Treasurer who will take necessary action on the report in consultation with the General Secretary.
- (h) The Finance Committee shall ensure the compliance by the State or Union Territory Branch, the different provisions of Income Tax, Foreign Contributions Regulations and other taxes applicable to the Branch.
- (i) The Finance Committee shall ensure that all the transactions, endorsements discharges and communications to the bankers or others regarding investments on fixed deposits or any other investment related to the branch are in accordance with the policy laid down by the National Headquarters and the Managing Committee of the Branch.
- (j) The Finance Committee shall ordinarily meet once every three months. Additional meetings may be called when necessary. Three members shall form the quorum.
- (k) The proceedings of the Finance Committee shall be placed before the Executive Committee and Managing Committee for approval.

7. State Youth Red Cross Committee or Junior Red Cross Committee:- There shall be a sub-committee each for State Youth Red Cross or Junior Red Cross at State and Union Territory level for promotion and development of the Youth or Junior Red Cross activities.

8. The Managing Committee shall have the powers to form any other Committee or Committees according to the needs of the Branch.

SCHEME IV

(Rule 13)

DISTRICT/SUB-DISTRICT/LOCAL BRANCHES

1. Procedure for formation :

- (a) The Managing Committee of the State or Union Territory Branches shall form District Branches. All the District Branches shall be under the control of the respective State or Union Territory Branch.
- (b) A district branch may within the provisions of the State Branch rules and regulations, subject to approval of the Managing Committee of the State or Union Territory Branch concerned, frame its own rules for running the affairs of the Branch.
- (c) The following procedures shall be followed for the formation of a District Branch:-

- (i) A General Meeting shall be called normally at the proposed headquarters of the Branch, notice of which shall be widely circulated throughout the District.
- (ii) This meeting shall elect a District Branch Managing Committee of at least ten members, including a Chairman, a Vice Chairman and an Honorary Treasurer.
- (iii) All the members of the Committee shall be subscribing members of the Society and each one of them shall take oath in their first meeting of the District Committee held after the Annual General Meeting to the effect to follow the Fundamental Principles of Red Cross and agree to undertake the tasks and responsibilities assigned to him/her.
- (iv) The District Branch shall send to the Headquarters of the State/ Union Territory Branch a copy of the resolution of the General Meeting, resolving the formation of the District Branch concerned, the conditions of Membership, the List of Executive Committee members giving the names of Chairman, Vice Chairman and Treasurer and list of at least 100 members (including 50 Life Members) enrolled along with 30% share of subscription (15% of State or Union Territory Branch and 15% of Headquarters) with the request to perform all the essential basic activities of Red Cross in accordance with the objectives of Red Cross and for the formation of the District Branch. In the case of Sub-District Branches, list of at least 50 members (including 25 Life Members) is to be sent along with 30% share of subscription.
- (v) After approval by the State or Union Territory Branch Managing Committee, the State or Union Territory Branch Managing Committee will inform the National Managing Body of the formation of the Branch.

2. President and Vice Presidents of District/Sub-District Branches :

- (a) President: The Deputy Commissioner of the District or District Collector or District Magistrate shall be the President of the District Branch
- (b) Vice-President: The Vice President shall be nominated by the President.
- (c) Chairman: The Chairman of the Branch shall be elected by the District Managing Committee from among its members for a period of three years
- (d) Treasurer: The Treasurer for the Branch shall be elected by the Managing Committee at its first meeting held after the Annual General Meeting.

3. Enrolment of Members:

Members enrolled by the District Branches are members of the Indian Red Cross Society. Enrolments shall be in accordance with the rules, subscription and grades of membership laid down by the Managing Body at National Headquarters. District Branches shall submit to the General Secretary of the respective State or Union Territory Branch monthly list of new members enrolled along with 30% share of membership subscription of the State Branch and National Headquarters. As soon as new members have been duly registered, certificates will be issued by the National Headquarters through the State or Union Territory Branch concerned.

A District branch will be expected to enroll, within one year of its formation, a minimum of 500 members of different categories.

4. Functions of the District Branches:

The functions of a District Branch shall be:-

- (a) to work towards achieving the objectives as specified under sub-heading 'objectives' in Chapter I of these rules;
- (b) to enroll subscribing members in different categories from the general public as per rules;
- (c) to collect donations, subscriptions from the general public, to retain or remit share to the State Branch, as per rules;
- (d) to foster the interest in Red Cross work amongst the members;

- (e) to support the respective State or Union Territory Branch financially and otherwise in carrying out the aims and objects of the Society;
- (f) to furnish to the respective State Branch half yearly progress report of the work in the following month;
- (g) to hold Annual General Meeting of all the members of the Branch on a date and place fixed by the President of the Branch. The Annual General Meeting will approve the -
 - (i) The proceedings of the previous year.
 - (ii) Annual Report of previous year.
 - (iii) Annual Audited Accounts of the Branch of the previous year.
 - (iv) The Budget of Receipts & Expenditure for the following year.
 - (v) Appointment of Auditors.
 - (vi) To elect a Chairman of the Branch and other members of the District Branch Committee, as per rules.
 - (vii) To furnish to their respective State or Union Territory Branch, an Annual Report, Annual Audited Statement of Income and Expenditure and Balance sheet and a copy of the proceedings of Annual General Meeting of the previous year.

SCHEDEULE V

(Rule 14)

THE MANAGEMENT OF THE STATE AND UNION TERRITORY BRANCH COMMITTEES

MANAGEMENT:

The General Secretary of the State or Union Territory Branch appointed by the Managing committee, shall be the Chief Executive Officer of the State Branch. He/she shall be under the general control and direction of the Chairman. The terms and conditions of service of the General Secretary shall be decided by the Managing Committee.

The term of the General Secretary shall initially be for a period of three years. On completion of the term, the post shall be made open. The existing Secretary may, if interested, apply for another term.

Functions of General Secretary :

Among others, he/she has the following functions:-

- (i) to implement the decisions of the Annual General Meeting, Managing Committee and its Committees and the mandates assigned to him/her;
- (ii) to direct the State Branch Headquarters and be responsible for the execution of the work entrusted to it;
- (iii) to draft the budget estimates of Receipt and Expenditure and prepare financial reports;
- (iv) to organize the different services of the Headquarters in accordance with the decisions of the Managing Committee and its Committees/ appoint Competent staff to the Secretariat and if necessary to take disciplinary action against them, as per Rules;
- (v) to be the authorized representative of the State Branch in relation to third parties and Courts of Law for all transactions, whatsoever, including transactions executed in normal form relating to the acquisition, administration and expenditure of the resources of the Branch;
- (vi) to direct the actions decided upon by the Annual General Meeting, Managing Committee and /or its Committees. In exceptional or urgent circumstances the General Secretary shall take all appropriate measures;
- (vii) to report on the annual activities of the State Branch to the Managing Committee and the Annual General Meeting;

- (viii) to participate in all the meetings of Managing Committee, its Committees and the Annual General Meeting as an ex-officio observer and to take minutes thereof;
- (ix) to sign all cheques, negotiable instruments and operate the Bank Accounts of the Society and its allied funds including payment orders and make payments on behalf of the State Branch and issue receipts in accordance with the procedure laid down by the Managing Committee from time to time;
- (x) to give notice of the meeting on behalf of the Committees and the Branch;
- (xi) to inspect District or Sub-district Branches as the direct representative of the Managing Committee;
- (xii) to delegate administrative, financial and other powers to the officers' of the State Branch in his or her absence as he or she consider appropriate;
- (xiii) to regulate and approve all material for publicity for communication to the Press. No officer may be allowed to directly communicate with the press, press agencies or other publicity organisation unless and until authorised by the General Secretary.

SCHEME VI

(Rule 15)

THE MANAGEMENT OF DISTRICT BRANCH COMMITTEE

1. Management of District Branch:

- (1) A District branch shall have a Committee of at least ten members including a Chairman, a Vice Chairman and an Honorary Treasurer. All must be subscribing members of the Society. At the first meeting after the Annual General Meeting all the members of the Committee and sub committee shall take oath to abide by the Fundamental Principles of the Movement and the Constitution of the Branch. The District Branch Executive Committee will appoint a Secretary who will conduct the Branch's day to day business and manage the Branch administrative structure.
- (2) The Executive Committee shall form sub-Committees Viz., Finance Committee, Health Committee, JRC or YRC Committee, Disaster Mitigation Committee and other Committees as the Executive Committee may deem fit to deal with specific activities of the Branch. Members of such committees must be the members of the Society but need not necessarily be the members of the Branch Executive Committee and an effort should be made to the end that these are persons who are particularly interested in the activity concerned are associated with it. The concerned heads of departments of Govt. in the Districts may be involved as co-opted ex-officio members in the respective Sub Committees. The sub-Committees should be as broad based as possible to ensure for them the support of various sections of the public i.e. officials, educationists, medical personnel, traders, agriculturists, bankers etc.

2. Meetings:

- (1) Meetings of the District Branch Executive Committee and Sub-Committees shall be held once a quarter. The quorum for such a meeting shall be 30% of the total members of the Committee.
- (2) The Executive Committee of the District Branch may elect representative to attend the Annual General Meeting of the State Branch as per rules.
- (3) Every District Branch shall endeavour to keep its activities always before the public. Raising donations and subscriptions will be easier if the public is kept constantly informed of the services performed by the Branch.
- (4) Every District Branch shall endeavour to co-operate and collaborate with other organizations in the district whose activities are allied to those of the Society without compromising the principles of the Red Cross.

3. Interest in contract, etc.:

No member of a District Branch Committee shall without the previous sanction of the Executive Committee of the District Branch, enter into any contract or transaction with other organizations or agencies.

4. District Branch Secretary:

The District Branch Secretary shall be someone with an aptitude for social work, devoting his or her time to undertake Red Cross activities throughout the district and manage the administration of the Branch.

5. The duties of the District Branch Secretary shall be:

- (1) To see that the Committee is properly constituted and fully representative.
- (2) To convene executive committee meetings at regular intervals, of not more than three months, for the transaction of all current business, and once a year to convene an Annual General Meeting of the Branch to which all members should be invited and notice of which shall be circulated.
- (3) To enroll members in all categories of membership as per rules and to carry on propaganda to enlighten the public about the aims and objectives of the Red Cross.
- (4) To publish and circulate among all members an Annual Report consisting of Audited Accounts and notes of the Treasurer on Accounts of the Branch.
- (5) To keep in touch with allied organizations such as District Boards, Soldiers Boards, Rural Community Councils, St. John Ambulance, Boy Scouts, Girl Guides and Cooperative Societies and to Co-operate with them in such matters as are of common interest.
- (6) To carry on all such activities in the Red Cross as may be decided upon by the District Committee.
- (7) To keep in close touch with the State Branch Secretary, to render such reports as shall be required by him or her, and to attend or depute others to attend the Annual Meeting of the State Branch.
- (8) To collect subscriptions and forward monthly Statement to the State Headquarters along with the share of subscription.
- (9) District Branches shall be subjected to all rules and regulations issued from time to time by the National Headquarters of Indian Red Cross Society and from the State Branch.
- (10) The Budget of the District Branch for ensuing year shall be prepared and passed by the District Branch Committee and the Annual General Meeting.
- (11) The District Branch, its records and those of institution financed or assisted by them shall be open to inspection by the officers of the State Branch and the National Headquarters.

6. Dissolution of the Branch:

- (1) Any number not less than three fifths of the members of a District Branch present at a meeting specially called for the purpose may determine that the Branch be dissolved. Such a resolution regarding dissolution must however be forwarded to the General Secretary of the State Branch and shall not take effect until it is approved by the State Branch Managing Committee. The District Branch in such a case shall make arrangement for the disposal and settlement of its property, its claims and liabilities and hand over funds and property that may remain to the State Branch General Secretary. Such residuary funds and property shall then be added to the General funds of the State Branch or handed over to the new District Branch formed over there.
- (2) Any District Branch whose administration in the opinion of the State Branch Managing Committee has not been in accordance with the principles and policies laid down by the State Branches Committee, subject to the approval by the National Headquarters, may be taken over by the State Branch and any funds and property at their disposal added to the general funds of the State Branch.

7. Amendment of the rules:

The State Branch Managing Committee, subject approval by the National Managing Body, shall have the right to amend or alter these rules from time to time as necessary.

8. Sub District Branch or Local Branch:

- (1) The District Branches may form Sub- District Branches at Taluqa level and local branches at Sub-Taluqa level in accordance with the local needs on the same basis/ procedure adopted for the formation of a District Branch. At the time of formation of these branches the revenue area of the branch shall be clearly defined.

(2) Whenever Sub- District Branches are formed they should follow the directions for work laid down for District Branches, through whom they should correspond and send 45% of all the subscriptions to be shared equally between the District and State Branches and the National Headquarters.

SCHEDULE VII

(Rule 16)

FINANCE OF THE STATE AND UNIFORM TERRITORY BRANCH COMMITTEE

FINANCE

1. Bankers:

The Bankers of the State Branch and all the funds administered by the Branch shall be kept in the State Bank of India, its subsidiaries and/or a nationalized bank as the District Managing Committee may name from time to time for maintenance of current accounts or savings bank accounts and short term or long term fixed deposits

2. Auditors:

The annual accounts of the Society as well as funds administered by the Society shall be audited by a practicing Chartered Accountant to be appointed as a statutory Auditor for the purpose of compilation and certification of accounts by the Managing Committee/ Annual General Meeting.

3. Investments:

All investments of funds shall be held in any of the forms as provided under Income Tax Act, 1961. All transactions, endorsements, discharges and communications to the bankers and other concerned agencies regarding investments including placing and taking up of fixed deposits shall be made by the Secretary with the concurrence of the Treasurer and the Chairman in accordance with the rules framed by the Managing Committee.

4. Operation of Bank Accounts:

- (1) New savings or current Bank accounts, if required, may be opened in the name of the State Branch and, or, any of its allied funds or under any of its programs with the approval of the Finance Committee or Managing Committee.
- (2) The current and savings bank accounts of the Society and its allied funds shall be operated upon jointly by any two of the following –
- (3) Vice-Chairman, General Secretary or Honorary Treasurer as decided by the District Managing Committee from time to time.
- (4) In the absence of Secretary (being on tour or leave, etc) the next senior-most Officer of the Branch will carry out the duties of General Secretary in accordance with the office order to be issued by the General Secretary as per the decision of the Managing Committee from time to time.

5. **Financial Year:** The Financial year of the Branch shall be from 01 April - 31 March.

SCHEDULE VIII

(Rule 17)

FINANCE OF THE DISTRICT BRANCH COMMITTEE

1. Bankers:

The Bankers of the District Branch and all the funds administered by the Branch shall be kept in the State Bank of India, its subsidiaries and/or a nationalized bank as the District Managing Committee may name from time to time for maintenance of current accounts or savings bank accounts and short term or long term fixed deposits.

2. Auditors:

The annual accounts of the Society as well as funds administered by the Society shall be audited by a practicing Chartered Accountant to be appointed as a statutory Auditor for the purpose of compilation and certification of accounts by the Managing Committee/ Annual General Meeting.

3. Investments:

All investments of funds shall be held in any of the forms as provided under Income Tax Act, 1961. All transactions, endorsements, discharges and communications to the bankers and other concerned agencies regarding investments including placing and taking up of fixed deposits shall be made by the Secretary with the concurrence of the Treasurer and the Chairman in accordance with the rules framed by the District Managing Committee.

4. Operation of Bank Accounts:

- (1) New savings or current Bank accounts, if required, may be opened in the name of the District Branch and, or, any of its allied funds or under any of its programs with the approval of the Finance Committee or Managing Committee.
- (2) The current and savings bank accounts of the Society and its allied funds shall be operated upon jointly by any two of the following –
- (3) Vice-Chairman, Secretary or Treasurer as decided by the District Managing Committee from time to time.
- (4) In the absence of Secretary (being on tour or leave, etc) the next senior-most Officer of the Branch will carry out the duties of Secretary in accordance with the office order to be issued by the Secretary as per the decision of the District Managing Committee from time to time.

5. Financial Year: The Financial year of the Branch shall be from 01 April - 31 March.

MANISH CHOWDHARY, Jt. Secy. IRCS, NHQ

[ADVT.-III/4/Exty./359/17]